न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/29/2024	2024/45	11.07.2024	18.12.2024

1. मोहर खां पुत्र श्री माले खां जाति मेव निवासी ग्राम मन्दू का बास, साहडोली तहसील रामगढ जिला अलवर राज0। —अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार भू0अ0 रामगढ जिला अलवर राज0।
2. किशन लाल पुत्र गोदाराम निवासी ग्राम साहडोली तह0 रामगढ जिला अलवर राज0।

— रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 1403 दिनांक 02.05.2024 ग्राम ऊँटवाल तहसील रामगढ, जिला अलवर।

उपस्थितः—
01—श्री शब्बीर खान —वकील अपीलाण्ट
02—श्री दीपक मीना —वकील रेस्पो0 सं0 1

—निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 1403 दिनांक 02.05.2024 ग्राम ऊँटवाल तहसील रामगढ तहसीलदार रामगढ द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के समक्ष एक वाद सं. 01/89 दिनांक 02.04.2024 को अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिस वाद पत्र के एक साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि आराजी हाल खसरा नंबर 829 रकबा 44 ऐयर, जो साबिक खसरा नंबर 594 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वासे बना है, ग्राम ऊँटवाल तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज०) में स्थित है। विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 594 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा को अपीलार्थी की माता मैना पत्नि माले खाँ ने आज से करीब 60 वर्ष पूर्व यानि दिनांक 16.08.1963 को खानचन्द पुत्र श्री मंशाराम निवासी ग्राम ऊँटवाल तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज०) से 750/— रूपये में खरीदा था और चुकता प्रतिफल अदा करके कब्जा प्राप्त किया था। जिस बाबत खानचन्द ने इकरारनामा बैय अपीलार्थी की माता मैना के पक्ष में एक रूपये के स्टाम्प पर तहरीर तकमील करके दिया। अपीलार्थी की माता मैना जब तक जीवित रही आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त करती रही तथा अपीलार्थी की माता के स्वर्गवास के बाद तन्हा रूप से अपीलार्थी विवादित आराजी पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इस तरह अपीलार्थी की माता के जीवनकाल से ही यानी विगत करीब 60 सालों से बदस्तूर विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा मौके पर बदस्तूर चला आ रहा है। इसलिए अपीलार्थी विवादित आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार है तथा अपीलार्थी विवादित आराजी का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का कानूनन मुश्तहक है। खानचन्द पुत्र श्री मंशाराम द्वारा विवादित आराजी का बेचान अपीलार्थी की माता को करने के कुछ समय बाद खानचन्द का स्वर्गवास हो गया, जिसके कोई वारिस नहीं होने के कारण अपीलार्थी की माता के नाम बयनामा नहीं हो सका तथा मौके पर कभी कोई विवाद भी कब्जे को लेकर नहीं हुआ। अपीलार्थी की माता अनपढ भोलीभाली ग्रामीण महिला थी, जो इस विश्वास में थी कि जमीन उसने खरीदली है इसलिए उसी के नाम जमीन रिकॉर्ड में चल रही होगी तथा अपीलार्थी की माता मैना के स्वर्गवास के बाद अपीलार्थी को भी कभी राजस्व अभिलेख को देखने की जरूरत नही पडी तथा अपीलार्थी भी इसी विश्वास में था, कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी की माता के मरने के बाद अपीलार्थी का नाम चल रहा होगा। प्रतिवादी स० 1 का विवादित आराजी से कोई लेना देना किसी तरह का नही है न ही प्रतिवादी स० 1 का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रहा है, विवादित आराजी पूर्व में गैर—खातेदारी की आराजी रही है, किन्तु प्रतिवादी स० 1 ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से साज—बाज होकर जमाबन्दी संवत 2024 से 2027 खाता स० 27 मे विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी मे दर्ज करा लिया, जो इन्द्राज बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश एवं बिना

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

किसी न्यायालय के निर्णय के दर्ज किया गया, इसके बाद प्रतिवादी स० 1 का नाम राजस्व अभिलेख मे बदस्तूर होता रहा है तथा वर्तमान मे विवादित आराजी हाल खसरा न० 829 रकबा 44 ऐयर दीगर आराजीयात के साथ खाता स० नया 94 मे प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज है, जैसा कि सलग्न जमाबन्दी संवत 2076–2079 से स्पष्ट है। जबकि विवादित आराजी पूर्व गैर–खातेदार खानचन्द पुत्र मंशाराम के द्वारा अपीलार्थी की माता मैना को बेचान करने के बाद से ही विवादित आराजी पर अपीलार्थी की माता व उसकी मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी का कब्जा काश्त है, तथा पूर्व गैर–खातेदार खानचन्द पुत्र मंशाराम के द्वारा बेचान का इकरारनामा व मिसल बन्दोबस्त सवंत 2020 का खात स० 123 सलंग्न है। प्रतिवादी स० 1 का नाम राजस्व अभिलेख में कतई गैरकानूनी तरीके से दर्ज चला आ रहा है, जो इन्द्राजात खिलाफ कानून खिलाफ मौका व खिलाफ कब्जा होने के कारण अपीलार्थी के हकूकों के खिलाफ वातिल बेअसर व नाकाबिल पाबंन्दी है, जिसे अपीलार्थी कलमजन करवाने का कानूनन अधिकारी है। अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट सं. 2 के नाम राजस्व अभिलेख में हो रहे इन्द्राजात की पूर्व में कतई कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी ने दिनांक 07–03–2024 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का से संपर्क किया तो पता चला कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट सं. 2 के नाम दर्ज है, जिस पर साविक रिकॉर्ड की नकल निकलवाई जिससे प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट सं. 2 के नाम गलत इन्द्राजात की जानकारी हुई। इसके बाद अपीलार्थी ने दिनांक 10–03–2024 प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट सं. 2 से संपर्क किया और राजस्व रिकॉर्ड से अपना नाम कलमजन कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट सं. 2 ने साफ इंकार कर दिया तथा धमकी दी कि वह विवादित अराजी से अपीलार्थी को जबरन बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा करेगा और विवादित आराजी को दीगर लोगों को मुनतकिल मकफूल करेगा। जबकि प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट सं. 2 को ऐसा करने का कानूनन कोई हक हांसिल नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट सं. 2 के नापाक मंसूबों को ध्यान में रखकर अपीलार्थी ने दिनांक 12–03–2024 को प्रतिवादी संख्या 2 से संपर्क कर विवादित आराजी की सही स्थिति से तथा अपने हितों से अवगत कराते हुए कोई भी मुन्तकिली दस्तावेज किसी दीगर शख्स के पक्ष में पुंजीबद्ध नहीं किए जाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर लाओ। मुतदाविया भूमि कस्टोडियन (निष्कान्त) कृषि भूमि होने से उसके निस्तारण सम्बंधित एवं खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) पुर्नवास विभाग द्ववारा परिपत्र दिनांक 06–10–2009, 30–03–2012 एवं 12–02–2014 को जारी करते हुये व्यवस्था दी गई कि निष्कान्त सम्पति (कस्टोडियन भूमि) काबिज गैरखातेदार, पट्टेदार, मौरोसी, गैरमोरोसी खातेदारों को खातेदारी प्रदान की जावे। परिपत्र मे उल्लेख किया गया है कि गैरमोरोसी गैरखातेदार तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय से स्वामित्व कब्जे के बारे मे घोषण करावे और उक्त घोषणा के पश्चात नियमितिकरण शुल्क व शास्ति राशि जमा कराने के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे। आराजी मुतदाविया के बाबत अपीलार्थी अपने अधिकार, स्वामित्व, कब्जा की बाबत निर्णय वो घोषण कराकर नियमितिकरण शुल्क वो शास्ति राशि कानूनन राजकोष में जमा कराने को तैयार है। चूंकि आराजी मुतदाविया निषकान्त (कस्टोडियन) कृर्षि भूमि है जो राजस्थान सरकार पुर्नवास विभाग द्वारा निष्कान्त भूमि हेतु परिपत्र क्रमाकं एफ 15 राजस्व पुर्नवास 2009 दिनाक 06–10–2009 निष्कान्त कृषि भूमि के नियम बनाये गये और व्यवस्था दी गई कब्जेदार से नियमानुसार मुतनाजा लिया जाकर खातेदारी अधिकार दिये जाने की व्यवस्था दी गई है। इसलिए अपीलार्थी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, व अपीलार्थी अपने आप को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का कानूनन अधिकारी है। उक्त विवादित आराजी मुतदाविया जो कि कस्टोडियन भूमि व लोकल टीनेन्स के रुप मे मिन अपीलार्थी का कब्जा काश्त होने की वजह से कस्टोडियन विभाग द्ववारा भी अन्य किसी को अलोट नही की गई है तथा अपीलार्थी निषकान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि बनने वाली कीमत व शास्ति राशि को भू राजस्व निकान्त भूमि नियम 1963 के नियम 5 व 5 ए के तहत राजकोष में जमा कराने को तैयार है। रेस्पोडेंट सं. 2 का विवादित आराजी से कोई लेना देना व संबंध सरोकार किसी तरह का नहीं है तथा वह विवादित आराजी से गैरकाबिज व गैरवास्ता शख्स है। यदि प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट सं. 2 ने गलत इन्द्राजात की आड़ में विवादित आराजी से अपीलार्थी को जबरन बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा कर लिया तथा विवादित आराजी को दीगर लोगों को मुन्तकिल मकफूल कर दिया तो अपीलार्थी को अजहद नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए अपीलार्थी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट सं. 2 को इस तरह पाबंद कराने का कानूनन अधिकारी है कि वो विवादित आराजी से अपीलार्थी को जबरन बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा नहीं करे, न अपीलार्थी के कब्जे काश्त में किसी

आ. [illegible] जिला कलक्टर (प्रथम)
18/12/24

तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा करे तथा न ही गलत इन्द्राजात की आड में विवादित आराजी को किसी दीगर शख्स को जरिये रहन, बैय, हिबा आदि के मुन्तकिल व मकफूल करे तथा प्रतिवादी संख्या 2 विवादित आराजी की बाबत कोई भी मुंतकिली दस्तावेज किसी दीगर शख्स के पक्ष में पंजीबद्ध नहीं करे व बाज आये। जिस वाद पत्र में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर द्वारा एक पक्षीय रूप से अपीलार्थी के पक्ष में खसरा न० 829 रकबा 0.44 है० वाके ग्राम उँटवाल के मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने अस्थाई स्थगन आदेश दिनांक 25.04.2024 को पारित किया गया। जो अस्थाई स्थगन आदेश आज दिन तक वैध एवं प्रभावी हैं। जिसके बावजूद रेस्पोडेंट सं. 1 ने बमिल्लत रेस्पोडेंट सं. 2 के रेस्पोडेंट सं. 2 को लाभ पहुँचाने की गर्ज से अपीलार्थी को बिना तलब किये व अपीलार्थी को बिला सुनवाई का मौका दिये बाला–बाला विवादित इंतकाल सं. 1403 अपने आदेश दिनांक 02.05.2024 के मंजूर व तस्दीक कर दिया गया। जिस विवादित इंतकाल की सं. 1403 की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थी। लेकिन दिनांक 16. 06.2024 को रेस्पोडेंट सं. 2 विवादित आराजी पर आकर अपीलार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हुए अपीलार्थी को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया व रेस्पोडेंट सं. 2 ने ऐलानिया कहा कि उसने रेस्पोडेंट सं. 1 के साथ मिलकर विवादित आराजीयात का विवादित इंतकाल सं. 1403 मंजूर व तस्दीक करा लिया हैं। अब रेस्पोडेंट सं. 2 विवादित इंतकाल की आड में विवादित आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन बय हिब्बा व अन्य प्रकार से अंतरण कर देगा तथा अपीलार्थी को विवादित आराजी से बल पूर्वक बेदखल कर देगा। जिस विवादित इंतकाल सं. 1403 दिनांक 02.05.2024 से व्यथित व पीडित हुआ हैं। विवादित इंतकाल सं. 1403 तहत न्यायालय तहसीलदार भू०अ० रामगढ जिला अलवर के विवादित आदेश दिनांक 02.05.2024 से व्यथित होकर यह अपील पेश है। विवादित आदेश तहत न्यायालय ग्राम तहसीलदार भू०अ० रामगढ जिला अलवर का है जिससे अपील को सुनने का न्यायक्षेत्र न्यायालय श्रीमान को है। विवादित आदेश दिनांक 02.05.2024 का हैं जिसकी जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थी। अब दिनांक 16.06.2024 को रेस्पोडेंट सं. 2 विवादित आराजी पर आकर अपीलार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हुए अपीलार्थी को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया व रेस्पोडेंट सं. 2 ने ऐलानिया कहा कि उसने रेस्पोडेंट सं. 1 के साथ मिलकर विवादित आराजीयात का विवादित इंतकाल सं. 1403 मंजूर व तस्दीक करा लिया हैं। अब रेस्पोडेंट सं. 2 विवादित इंतकाल की आड में विवादित आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन बय हिब्बा व अन्य प्रकार से अंतरण कर देगा तथा अपीलार्थी को विवादित आराजी से बल पूर्वक बेदखल कर देगा। इस पर मिन अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करते हुए तहत न्यायालय के विवादित आदेश की नकल हेतु आवेदन कर नकल दिनांक 03–05–2024 को प्राप्त की गई तथा अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह मश्वरा प्राप्त किया गया। जिस पर अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी को विवादित आदेश से व्यथित होने पर अपील करने हेतु सलाह दी गई। जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपील हेतु रूपयो पैसो का इंतजाम कर अंदर अपील पेश की जा रही हैं। लेकिन फिर भी जो समय जानकारी के अभाव में, नकल लेने, कानूनी सलाह प्राप्त करने, अपील हेतु रूपयो पैसों का इंतजाम करने व लिखा पढी कराने में आज दिन तक का व्यत्तित हुआ हैं वह काबिले कंडोन हैं। जिस हेतु पृथक से आवेदन पत्र पेश है। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश मनमाना व कयासीया तौर पर पारित किया गया हैं। तहत न्यायालय ने विवादित आदेश विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धांतो के विपरित पारित किया गया हैं। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सम्यक रूप से तलब किया जाना चाहिए था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत वाद मय प्रार्थना पत्र सं. 02/74 में एक पक्षीय रूप से अपीलार्थी के पक्ष में खसरा न० 829 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम उँटवाल के मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने अस्थाई स्थगन आदेश दिनांक 25.04.2024 को पारित किया हुआ हैं। जो अस्थाई स्थगन आदेश आज दिन तक वैध एवं प्रभावी हैं। जिसके बावजूद रेस्पोडेंट सं. 1 ने बमिल्लत रेस्पोडेंट सं. 2 के रेस्पोडेंट सं. 2 को लाभ पहुंचाने की गर्ज से अपीलार्थी को बिना तलब किये व अपीलार्थी को बिला सुनवाई का मौका दिये बाला–बाला विवादित इंतकाल सं. 1403 अपने आदेश दिनांक 02.05.2024 के मंजूर व तस्दीक किया गया हैं। तहत न्यायालय द्वारा इंतकाल सं. 1403 तस्दीक से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर द्वारा विवादित आराजी खसरा न० 829 रकबा 0.44 है० वाके ग्राम उँटवाल की बाबत मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पारित किये गये अस्थाई स्थगन आदेश दिनांक 25.04.2024 की जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पोडेंट सं. 2 के साथ मिल्लत करते हुए विधि विरूद्ध व नियम विरूद्ध इंतकाल सं. 1403 दिनांक 02.05.2024 को तस्दीक किया गया हैं। विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 594 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा को अपीलार्थी की माता मैना पत्नि माले खाँ ने आज

अ. जिला कलक्टर (प्रथम)
18/12/24

से करीब 60 वर्ष पूर्व यानि दिनांक 16–08–1963 को खानचन्द पुत्र श्री मंशाराम निवासी ग्राम ऊँटवाल तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज०) से 750/– रूपये में खरीदा था और चुकता प्रतिफल अदा करके कब्जा प्राप्त किया था। जिस बाबत खानचन्द ने इकरारनामा बैय अपीलार्थी की माता मैना के पक्ष में एक रूपये के स्टाम्प पर तहरीर तकमील करके दिया। ताईद में इकरारनामा संलग्न कर प्रस्तुत है। अपीलार्थी की माता मैना जब तक जीवित रही आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त करती रही तथा अपीलार्थी की माता के स्वर्गवास के बाद तन्हा रूप से अपीलार्थी विवादित आराजी पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इस तरह अपीलार्थी की माता के जीवनकाल से ही यानि विगत करीब 60 सालों से बदस्तूर विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा मौके पर बदस्तूर चला आ रहा है। इसलिए अपीलार्थी विवादित आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार है। तहत न्यायालय द्वारा विवादित इंतकाल सं. 1403 पारित करने से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 829 रकबा 0.44 है0 के मौके कब्जे की कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गई। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर तहत न्यायालय तहसीलदार भू०अ० रामगढ जिला अलवर द्वारा तस्दीक व स्वीकार किये गये इंतकाल सं. 1403 दिनांक 02.05.2024 अपास्त फरमाने की कृपा करें।

वकील अपीलाण्ट उपस्थित। वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं0 2 अनुपस्थित। पत्रावली में एकपक्षीय बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2024 के विरूद्व दिनांक 02.07.2024 को पेश की गयी है जो 02 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ (भू.अ.) द्वारा नामान्तकरण संख्या 1403 दिनांक 02.05.2024 वाके ग्राम उटवाल तह0 रामगढ के द्वारा स्वीकृत करने पर अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपी0 का कथन है कि न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रामगढ के स्थगन आदेश दिनांक 25.04.2024 को खसरा नंबर 829 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम उटवाल तह0 रामगढ में आगामी आदेशों तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया हुआ था। स्थगन आदेश के बावजूद भी अधी0 न्याया0 द्वारा दिनांक 02.05.2024 को नामा0 स्वीकार कर तस्दीक कर दिया गया। उक्त स्थगन आदेश की पक्षकार को जानकारी होने के बावजूद भी विक्रय पत्र का नामान्तकरण तस्दीक कराया गया है जो विधिविरूद्ध है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही विधिविरूद्ध की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ का आदेश इंतकाल संख्या 1403 दिनांक 02.05.2024 को निरस्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के स्थगन आदेश के निस्तारण तक पूर्व की स्थिति बहाल रखी जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)